संख्या:-136/2021/आई/123049/2021/278आ0/23-5-21-18(भवन)/2021

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता(पारे0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनाक: 16 दिसम्बर, 2021**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में "विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण (नये कार्य)" मद के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ एवं महाराजगंज के 02 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में "विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण(नये कार्य)" मद के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ एवं महाराजगंज के 02 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 330.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यों हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कुल धनराशि **रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद का नाम	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
					(धनराशि रू0 लाख में)
1	915जी/79(18)बी0 पी0-विंग/2021, दिनांक 20.09.2021	अलीगढ़	नवसृजित मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के कार्यालय भवन निर्माण कार्य।	113.52	10.00
2	1484जी/79(6)बी0 पी0- विंग/ 2020, दिनांक 21.09.2020	महाराजगंज	महाराजगंज में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 वि0, महाराजगंज के आफिस बिल्डिंग का नव निर्माण कार्य।	216.69	10.00
			योग :-	**330.21**	**20.00**

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

7- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणो आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एव वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

11- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावानुसार आंकलित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- स्वीकृत कार्य में प्रस्तावानुसार सम्मिलित मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

14- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति जारी की जायेगी।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06-लोक निर्माण-0607-विभिन्न जनपदों(नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू0ओ0-ई-8-2668/दस-2021-2022, दिनांक 10.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

सख्या:-136/2021/आई/123049/2021/278आ0(1)/23-5-2021तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अलीगढ़ व महाराजगंज।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र व गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त व गोरखपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, महाराजगंज।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
14- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in